24.01.2024— पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 की और से दिनांक 17.10.2023 को इकबालिया जवाब प्रस्तुत किया जो शामील फाईल है। प्रतिवादीगण संख्या 03 से लगायत 12 बावजूद तामील के अनुपस्थित प्रतिवादीगण संख्या 03 से लगायत 12 को बार बार आवाजे दिलवाई गई इसके बावजूद भी उपस्थित नही होने से प्रतिवादीगण संख्या 03 से लगायत 12 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। वकील वादीया की एक पक्षीय बहस सुनी गई बहस के दोरान वादपत्र के कथनो को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम कुम्हारिया प0ह0 भोली भू0अ0नि0 आटूण तहसील व जिला भीलवाडा के खाता संख्या 243 में अभिलिखित आराजियात आराजी संख्या 116, 117, 136, 137, 138 किता 05 कुल रकबा 5.1781 हैक्टेयर खाता संख्या 07 आराजी संख्या 124, 125, 128, 135 किता 04 कुल रकबा 2.5036 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 08 आराजी संख्या 126, 127, 129 किता 03 रकबा 2.9462 हैक्टेयर भूमि स्थित है। वादपत्र की चरण संख्या 01 के पैरा ''क'' ''ख'' व ''ग'' में वर्णित कृषि आराजियात वादीया एवं प्रतिवादीगण की शामलाती खाते की होकर अविभाजित कृषि आराजियात है, पैरा क में वर्णित आराजियात किता 05 कुल रकबा 5.1781 हैक्टेयर भूमि में 4115/9828 वॉ हिस्सा वादीया का, 30/91 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 का, 17/91 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 02 का, 1/432 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 03 का, 1/336 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 04 का, 1/336 वां हिस्स प्रतिवादी संख्या 05 का, 1/36 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 06 का, 1/336 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 07 का, 1/336 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 08 का, 1/336 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 09 का, 1/336 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 10 का, 1/48 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 11 का, 1/48 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 12 का, पैरा ख में वर्णित आराजियात किता 04 कुल रकबा 2.5036 हैकटेयर भूमि में 17365/25278 वां हिस्सा वादिया का, 49/198 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 का, एवं 226/3447 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 03 का, पैरा ग में वर्णित आराजियात किता 03 कुल रका 2.9462 हैक्टेयर भूमि में 38/39 वां हिस्सा वादीया का, एवं 1/39 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 03 का राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर इसी अनुपात में काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। राजस्व रेकार्ड में खाता शामलाती होने से लगान जमा कराते समय तथा भूमि को काश्त करते समय मौके पर विवाद व लडाई झगडा होता रहता है, वादीया राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से के आधार पर खाता अलग कर लगान अलग तय करवा विभाजन करवाने का अधिकारी है। वादीया अपने हक व हिस्से का मौके एवं रेकार्ड कब्जे के अनुसार विभाजन कराने की इस्तदुआ की है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता वादीया की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया। ग्राम कुम्हारिया प0ह0 भोली भू0अ0नि0 आटूण तहसील व जिला भीलवाडा के खाता संख्या 243 में अभिलिखित आराजियात आराजी संख्या 116, 117, 136, 137, 138 किता 05 कुल रकबा 5.1781 हैक्टेयर खाता संख्या 07 आराजी संख्या 124, 125, 128, 135 किता 04 कुल रकबा 2.5036 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 08 आराजी संख्या 126, 127, 129 किता 03 रकबा 2.9462 हैक्टेयर भूमि में वादीया एवं प्रतिवादीगण का राजस्व रेकार्ड में दर्ज हक हिस्सा की आराजियात का मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन कराने के अधिकारी है। वादीया ने वादपत्र के समर्थन में जमाबन्दी संवत 2069–2073 की प्रस्तुत की है। अतः वादीया का वाद पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतएवंः

उपखण्ड अधिकारी एव
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाडा

—: आदेश :—

वादीया का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 आरटीए का स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 12 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम कुम्हारिया प0ह0 भोली भू0अ0नि0 आटूण तहसील व जिला भीलवाडा के खाता संख्या 243 में अभिलिखित आराजियात आराजी संख्या 116, 117, 136, 137, 138 किता 05 कुल रकबा 5.1781 हैक्टेयर खाता संख्या 07 आराजी संख्या 124, 125, 128, 135 किता 04 कुल रकबा 2. 5036 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 08 आराजी संख्या 126, 127, 129 किता 03 रकबा 2.9462 हैक्टेयर भूमि में वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 12 के राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से एवं कब्जे अनुसार एवं मिट्स एण्ड बाउण्डस् को मध्यनजर रखते हुए विभाजन हेतु प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाती है। तहसीलदार भीलवाड़ा पक्षकारान की उपस्थिति में उपरोक्तानुसार विभाजन बंटवाड़ा प्रस्ताव राजस्थान टिनेन्सी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए तैयार कर प्रस्तुत करें। पत्रावली दिनांक 20.03..2024 को वास्ते प्रारम्भिक डिक्री की पालना में पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा